न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 08/2022

1 जगदीश प्रसाद आयु 63 साल पुत्र माईधनराम जाति जाट निवासी समसपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2 श्रीराम आयु 76 साल पुत्र माईधनराम जाति जाट निवासी समसपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं। दौराने दावा मृतक
2/1 सुरेश कुमार आयु 45 साल पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी समसपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
3 महावीर आयु 68 साल पुत्र माईधन जाति जाट निवासी समसपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
4 शिवनारायण आयु 65 साल पुत्र माईधनराम जाति जाट निवासी समसपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट्स

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनूं।
2 दयाराम आयु 52 साल पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी समसपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
3 मनोज कुमार उम्र 48 साल पुत्र मुकन्दाराम जाति जाट निवासी समसपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.2021 बमुकदमा उनवानी जगदीश प्रसाद वगे. बनाम राजस्थान सरकार दावा/प्रार्थना पत्र अ. धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट/अ. धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट मु.नं. 38/2017 बअदालत उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री शिवनारायण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विरेन्द्र सीगड़, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 28.4.26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा मुकदमा नम्बर 38/2017 में पारित निर्णय दिनांक 09.09.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस ने एक प्रार्थना/दावा अ. धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बाबत भूमि खसरा नम्बर पुराना 80 व नये 345 वाके ग्राम समसपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में मिसल हकियत संवत 1999 को पत्रावली पर उपलब्ध होना बताया है परन्तु पत्रावली पर वादीगण/अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत की गई सूची दस्तावेज का अवलोकन किया जावे तो वादीगण/अपीलान्टस की ओर से कथित मिसल हकियत 1999 पत्रावली पर प्रस्तुत किया जाना ही जाहिर नहीं होता। प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट की ओर से भी उनके जवाब के साथ खसरा गिरदावरी 2009 से 2012, नक्शा पुराना खसरा नम्बर 80 व नया खसरा नम्बर 345 की छाया प्रतिलिपि संलग्न किया जाना बताया है। प्रश्न यह पैदा होता है कि मिसल हकियत जब वादी/प्रतिवादी किसी भी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत हीं नहीं किया गया तो पत्रावली पर यह दस्तावेज कहा से उपलब्ध हुआ, इस बाबत विचारण न्यायालय ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने वादीगण/अपीलान्टस के विरोधी किसी व्यक्ति से मिलीभगत करके इस प्रकार का मिसचीफ किया है तथा मिसल हकियत 1999 में खसरा नम्बर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

80 को गै.मु. रास्ता दर्ज होना बतलाते हुये प्रकरण को पोषणीय होना नहीं माना है। वादीगण की ओर से संबंधित दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट किया है कि नक्शा किश्तवार सन 1936–37 व खसरा गिरदावरी संवत 2009 से 2012 तक में क्रमशः गत खसरा नम्बर 80 को गै.मु. आबादी दर्ज क़िया है जिसको ताईद राजस्व अभिलेख से होती है। जमाबन्दी भूमि का राजस्व रिकार्ड है जो संवत 2012 में ही बनाई जानी शूरू हुई तब नक्शा ट्रेस सन 1936–37 व खसरा गिरदावरी संवत 2009 से 2012 तक में दर्ज गैरमुमकीन आबादी की हुई ओर ध्यान न देकर इसे गैरमुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया जो निराधार है क्योकि गै. मु. आबादी से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज होने का कोई आधार नहीं है। मिसल हकियत सेटलमेट द्वारा तैयार किया हुआ रिकार्ड है जो रास्तव रिकार्ड की श्रेणी में भी नहीं आता। जब गत खसरा नम्बर 80 में नक्शा किश्तवार सन 1936–37 में आबादी में निशान दर्शाये गये है। तब नये सेटलमेंन्ट विभाग द्वारा तैयार किया गया नक्शा किश्तवार सन 1993 में उक्त अनुसार पुराने नक्शा में दर्शाए गये आबादी के निशानात को हटाकर नक्शा किस आधार पर बनाया गया। जबकि ऐसा अधिकार सेटलमेंट विभाग को नहीं है। मौके पर भी रास्ता के बजाए पुराने समय से ही आबादी बसी हुई है फिर बिना भौतिक सत्यापन किये ही आबादी से रास्ता किस आधार पर दर्ज कर दिया गया। नया व पुराने दोनों नक्शा किश्तवार का अवलोकन किया जावे तो पुराने नक्शों में खसरा नम्बर 80 के चारों तरफ से बन्दहोना दर्शाया गया है इसी प्रकार नये नक्शा का अवलोकन करे तो खसरा नम्बर 345 भी चारों तरफ बन्द होना स्पष्ट होता है तथा रास्ता किसी नक्शा में आरपार जाना जाहिर ही नहीं होता जबकि मौकेक पर रास्ता आज भी विद्यमान चालू है। पत्रावली के रिकार्ड पर तीनी बार मौका कमिश्नर द्वारा पटवारी, गिरदावर हल्का की मौजूदगी में मौका कमिश्नर द्वारा पटवारी, गिरदावर हल्का की मौजूदगी में मौका मुआयना किया जाकर विवादित रास्ता को वादीगण/अपीलान्टस की रिहायशी गुवाड़ी के दक्षिण व पश्चिम में सटकर स्थित होना बताया गया है तथा विवादित रास्ता में किसी के द्वारा कोई अतिक्रमण कर रास्ता में किसी प्रकार का कोई अवरोध पैदा किया जाना भी नहीं पाया गया है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का बिना अवलोकन किये बिना मौके की रिपोर्ट पर ध्यान दिये अपने मनमाने ढंग से वादीगण/अपीलान्ट से बॉयाज्ड होकर अन्य किसी से मिली भगत कर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विधि व पत्रावली के विपरित अपने निर्णय व डिक्री पारित किये है जो निरस्त होने योग्य है। उन परिस्थितियों में वादीगण/प्रार्थीगण का प्रकरण धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधानों के अनुसार सेटलमेंट विभाग द्वारा नक्शा किश्तवार में बिना किसी आधार गै.मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आधार पर रिकार्ड को वस्तु स्थिति के अनुसार दुरूस्त किये जाने का आदेश पारित किया जा सकता था परन्तु पत्रावली के विपरित विचारण न्यायालय ने धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रकरण को पोषणीय नहीं होना मानने में कानूनी भूल की। इसके अतिरिक्त उक्त अनुसार बने हुये गलत राजस्व अभिलेख की दुरूस्ती के लिए विचारण न्यायालय को धारा 88 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत भरपुर क्षेत्राधिकार व शक्तियां निहित है परन्तु विचारण न्यायालय ने बिना किसी कारण से व विधि के प्रावधानों पर ध्यान दिये वादीगण/अपीलान्टस का दावा खारिज करने में भयंकर कानूनी भूल की है। राजस्व रिकार्ड नक्शा किश्तवार, जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी आदि में दर्ज गलत राजस्व रिकार्ड को केवल राजस्व न्यायालय ही दुरूस्त कर इस आशय की घोषणा करने में समक्ष है। विचारण न्यायालय ने कानून की अनदेखी करते हुये केवल इस आधार पर कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 प्रभाव में आने से पूर्व ही आबादी दर्ज रिकार्ड नहीं होना बतलाते हुए घोषणा नहीं की जा सकना गलत बताया है। इससे लगता है कि विचारण न्यायालय की नजर में तो नक्शा किश्तवार व खसरा गिरदावरी आदि राजस्व रिकार्ड ने होकर मात्र वेस्ट पेपर होना माना जाना स्पष्ट होता है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2008(2) आरजे पेज 1348, डीएनजे 1995(2) राज पेज 540 आरआरडी 2018 पेज 6, आरआरटी 2009–10 सप्ली. पेज 337, आरआरटी 2012(2) पेज 1371 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस ने एक प्रार्थना/दावा अ. धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बाबत भूमि खसरा नम्बर पुराना 80 व नये 345 वाके ग्राम समसपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। मिसल हकियत 1999 में व जमाबंदी संवत 2012 से 2015 में गत खसरा नम्बर 80 गै.मु. रास्ता दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 80 के नये खसरा नम्बर 345 बनना मिलान क्षेत्रफल में स्पष्ट है। जिसकी ताईद मौका रिपोर्ट तहसीलदार झुन्झुनूं से होती है। जिससे यह प्रदर्शित होता है कि वास्तव में गत खसरा नम्बर 80 की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने पूर्व की है गै.मु. रास्त भूमि दर्ज रिकार्ड है जो लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में नहीं आती है व मिसल हकीयत 1999 व जमाबंदी संवत 2012 से 2015 में भी गै.मु. रास्ता दर्ज है। राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व भी यह भूमि आबादी भूमि दर्ज रिकार्ड रही है, इसलिये घोषणा भी नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। विचारण न्यायालय में वाद अपीलान्ट का था। अपीलान्ट की जरिये वकील उपस्थिति रही है। इसके उपरांत भी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस ने एक प्रार्थना/दावा अ. धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बाबत भूमि खसरा नम्बर पुराना 80 व नये 345 वाके ग्राम समसपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली में सलंग्न मिसल हकियत 1999 में व जमाबंदी संवत 2012 से 2015 में गत खसरा नम्बर 80 गै.मु. रास्ता दर्ज

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रिकार्ड है। खसरा नम्बर 80 के नये खसरा नम्बर 345 बनना मिलान क्षेत्रफल में स्पष्ट है। जिसकी ताईद मौका रिपोर्ट तहसीलदार झुन्झुनूं से होती है। जिससे यह प्रदर्शित होता है कि वास्तव में गत खसरा नम्बर 80 की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने पूर्व की है गै.मु. रास्ता भूमि दर्ज रिकार्ड है जो लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में नहीं आती है व मिसल हकीयत 1999 व जमाबंदी संवत 2012 से 2015 में भी गै.मु. रास्ता दर्ज है।

राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व भी यह भूमि आबादी भूमि दर्ज रिकार्ड रही है, इसलिये घोषणा भी नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। विचारण न्यायालय में वाद अपीलान्ट का था। अपीलान्ट की जरिये वकील उपस्थिति रही है। इसके उपरांत भी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद एवं गुणावगुण दोनों पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.4.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर